शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान

13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81

E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com

सोशल मीडिया से जुड़े
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

जसवन्त सम्पतराम IPS (Retd.)	बनवारी लाल बैरवा	दयानन्द सक्करवाल	जी.एल. वर्मा
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महासचिव
मो. 9414308305	मो. 9001195384	मो. 9634418411	मो. 9829688869

क्रमांक: DrAMWS/2025/GS/2298 दिनांक : 24.12.2025

कार्यालय आदेश

डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान की केन्द्रीय कार्यसमिति के निर्वाचन योग्य पदाधिकारियों के लिए चुनाव करवाने हेतु सोसायटी पत्र क्रमांक: DrAMWS/2025/GS/2080 दिनांक 23.09.2025 द्वारा श्री जे पी विमल को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था |

परन्तु श्री जे पी विमल द्वारा चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्ण एवं विधान अनुसार नहीं करवाए जाने के कारण श्री जे पी विमल को सोसायटी पत्र क्रमांक: DrAMWS/2025/GS/2245 दिनांक: 30.11.2025 एवं क्रमांक: DrAMWS/2025/GS/2284 दिनांक : 18.12.2025 द्वारा चुनाव अधिकारी के पद से हटाया जा चुका है एवं चुनाव समिति भी भंग की जा चुकी है |

श्री बनवारी लाल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 04.12.2025 एवं 22.12.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे 8, जयपुर महानगर प्रथम में सिविल मिसलीनियस अपील दायर करके श्री जेपी विमल को चुनाव अधिकारी के पद से हटाने के उपरोक्त आदेशों को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया था परन्तु माननीय न्यायालय ने श्री बनवारी लाल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष की प्रार्थना को अभी तक स्वीकार नहीं किया है, इसलिए श्री जेपी विमल को चुनाव अधिकारी के पद से हटाने के आदेश वैधानिक रूप से अभी प्रभावी है | अत: श्री जे पी विमल द्वारा चुनाव प्रक्रिया को जारी रखना और दिनांक 04.01.2026 को मतदान करवाना अवैधानिक है |

यहां तक की श्री बनवारी लाल बैरवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं श्री दयानन्द सक्करवाल कोषाध्यक्ष द्वारा श्री जे पी विमल को तत्कालीन अजमेर जिले के 11630 व्यक्तियों को जिनका पूर्ण सदस्यता शुल्क सोसायटी में जमा नहीं हुआ है और जिनको श्रे जे पी विमल द्वारा मतदाता सूचि में अवैधानिक रूप से शामिल कर लिया गया था, उनको मतदाता सूचि से हटाने (Kept in abeyance in this election) के जारी निर्देश की पालना भी श्री जे पी विमल द्वारा नहीं की गई है |

श्री जे पी विमल द्वारा श्री दयानन्द सक्करवाल को निर्विरोध कोषाध्यक्ष निर्वाचित घोषित करना भी अवैधानिक है और आगे भी अगर श्री जे पी विमल द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को किसी भी पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है तो निर्वाचन अवैधानिक होगा और ऐसे व्यक्तियों को सोसायटी में उन पदों पर कार्यभार नहीं सम्भलाया जायेगा | उपरोक्त के कारण अगर कोई क़ानूनी विवाद पैदा होता है और कानून व्यवस्था बिगडती है तो श्री जे पी विमल एवं उनकी भंग चुनाव समिति जिम्मेदार होंगे |

कुछ जिलो से प्राप्त सुचना के अनुसार श्री जे पी विमल द्वारा चुनाव प्रक्रिया जारी रख कर दिनांक 04.01.2026 को अगर अवैधानिक चुनाव हेतु मतदान करवाया जाता है तो विभिन्न गुटों के मध्य लड़ाई झगडे की भी सम्भावना है और सामाजिक एकता ख़तम होने की भी सम्भावना है जिसकी पूरी जिम्मेदारी श्री जे पी विमल एवं उनकी भंग चुनाव समिति की होगी |

शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान
13-14, झालाना डूँगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81
E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com

सोशल मीडिया से जुडे
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

जसवन्त सम्पतराम IPS (Retd.)	बनवारी लाल बैरवा	दयानन्द सक्करवाल	जी.एल. वर्मा
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महासचिव
मो. 9414308305	मो. 9001195384	मो. 9634418411	मो. 9829688869

अत: सभी जिला शाखाओ एवं अन्य शाखाओ को श्री जे पी विमल द्वारा करवाए जा रहे अवैधानिक चुनावों में भाग नहीं लेने हेतु निर्देशीत किया जाता है |

अत: श्री छगन बेनीवाल ही अधिकृत चुनाव अधिकारी है और श्री छगन बेनीवाल, चुनाव अधिकारी द्वारा करवाए जा रहे चुनाव ही वैधानिक है | श्री छगन बेनीवाल, चुनाव अधिकारी द्वारा संशोधित चुनाव अधिसूचना/कार्यक्रम अलग से जारी किया जा रहा है |

[जसवन्त सम्पतराम IPS(Retd.)]
अध्यक्ष
9414308305

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. रजिस्ट्रार संस्थाएं, टोंक रोड, जयपुर ।
2. श्री जेपी विमल, ए 267, त्रिवेणी नगर, जयपुर |
3. श्री छगन बेनीवाल, आरएएस (सेनि), सोसायटी चुनाव अधिकारी, जयपुर।
4. समस्त सोसायटी पदाधिकारी (केन्द्रीय,जिला एवं अन्य शाखाएं) एवं सदस्य (सोशल मीडिया, वेबसाइट एवं सूचना पट्ट द्वारा) ।

महासचिव